न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I,** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **5/2024 RCMS 24/8**

वादीया

झमकू देवी पत्नी गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामन सिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

चौखाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामन सिटी वगैराह

दावा :– खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act 1955

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 10 C.P.C. दिनॉक 05.11.2024

उपस्थित :– श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता वादीया की ओर से।
श्री भीकमचंद कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4/3, 4/5, 5 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक :– 02/05/2025

प्रतिवादी चोथमल एवं उनके अधिवक्ता की ओर से दिनॉक 05.11.2024 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 10 **CPC** के तहत प्रस्तुत हुआ। जिसमें प्रतिवादी चोथमल ने कथन किया है कि उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम करकेड़ी के गत खसरा नम्बर 105 रकबा 26 बीघा 01 बीस्वा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 123 रकबा 1.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 1.38 हैक्टयर कुल खसरे 03 कुल रकबा 4.28 हैक्टयर पूर्व में राजस्व वाद संख्या 81/89 झमकू बनाम रामेश्वरलाल न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय नावां में विचाराधीन था जो बाद में श्रीमान उपखण्ड न्यायालय कुचामन में विचाराधीन हो गया था दिनांक 01.02.2011 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामन द्वारा दिनांक 01.02.2011 को उक्त वाद पत्र को वाद को खारिज कर दिया गया। उक्त खसरा नम्बर की भूमि को लेकर इन्हीं वादीगण द्वारा पुनः आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पुन पेश किया न्यायालय ने ऑर्डर 09 नियम 04 के प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2016 को खाजिर कर दिया गया। उक्त भूमि को लेकर प्रतिवादीगण नानूराम, नोपाराम द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश किया उक्त वाद को लेकर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुचमामन सिटी द्वारा दिनांक 22.08.2023 को इसी न्यायालय ने वादीगण को निर्णय कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर रहा हूं। इस प्रकार वादीगण द्वारा न्यायालय में बार–बार वाद नहीं लाया जा सकता क्योंकि श्रीमान उक्त भूमि बाबत् दो बार वाद खारिज कर दिया [illegible] इसी न्यायालय ने वादीगण को दिनांक 20.08.2024 को प्रतिवादी की भूमि में कब्जा नहीं [illegible] बाबत पाबंद किया जा चुका था इसलिए वादीगण उक्त भूमि दुबारा वाद नहीं ला सकता। ऐसी स्थिति में वादी का वाद मय हर्जे–खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलाई गयी। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी कतई लागू नहीं होता है। धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एक समान पक्षकार वाद की विषय वस्तु एक हो तथा वादी व प्रतिवादी द्वारा उन्हीं पक्षकारों के मध्य वाद प्रस्तुत किया जाता है तो पाश्चात्यकृतिवाद चलने योग्य ना होकर पूर्ववृतिवाद ही चलने योग्य होता है। इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है इसलिए काबिल खारिज किये जाने योग्य है। उभयपक्षकारों की प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी दिनांक 05.11.2024 पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व वकील वादी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया।

प्रतिवादी चोथमल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के राजस्व वाद संख्या 81/1989 उनवान झमकू बनाम रामेश्वरलाल निर्णित दिनांक 01.02.2011, राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 सीपीसी प्रार्थना पत्र संख्या 02/2014 उनवान झमकू बनाम रामेश्वर निर्णित दिनांक 22.09.2026 की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त दोनों प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये गये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के राजस्व वाद संख्या 12/2015 उनवान नानूराम बनाम चोखाराम दिनांक 22.08.2023 को डिक्री किया गया है। उक्त डिक्री आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर में अपील प्रस्तुत की गई थी। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर की राजस्व अपील संख्या 129/2023 उनवान चौखाराम बनाम नानूराम निर्णय दिनांक 24.03.2025 में अपील अपीलांट खारिज की जाकर इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 12/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2023 की पुष्टि की है।

दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद की वादग्रस्त भूमि के पक्षकारों के मध्य पूर्व में भी राजस्व वाद/राजस्व प्रार्थना/राजस्व अपील विचाराधीन थी। जिनका निस्तारण न्यायालयों द्वारा विधिक प्रकिया से निस्तारण किया गया है। समान भूमि व समान पक्षकारों द्वारा बार–बार वाद लाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आदेश 10 सीपीसी प्रावधानुसार ''कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसीके अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है।''

अतः प्रार्थना–पत्र आर्डर 10 सी.पी.सी. दिनॉक 05.11.2025 काबिल स्वीकार पाया गया।

–: आदेश :–

अतः प्रतिवादी संख्या 4/2 चौथमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आर्डर 10 सी.पी.सी. दिनांक 05.11.2024 स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय में विचाराधीन मूल राजस्व वाद संख्या 05/2024 (जीसीएमस 2024/18) उनवान झमकू देवी बनाम चौखाराम खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक ......02/05/2025...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार-I,)
उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी
जिला- (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)